भाग क- व्यापार सेगमेंट

(हजार में)

		ट्रेजरी संचालन		रिटेल बैंकिंग संचालन		अन्य बैंकिंग परिचालन		आवंटित नहीं की गई		कुल	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1	सेगमेंट राजस्व	41,70,544	32,77,345	1,82,04,459	1,81,32,207	38,210	24,250	(678)	(783)	2,24,12,535	2,14,33,019
2	सेगमेंट परिणाम	10,78,550	6,85,957	(3,48,651)	(13,67,151)	20,212	14,674	(678)	(783)	7,49,433	-6,67,303
3	आयकर	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15,180	-1,57,197
4	शुद्ध लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34,253	-5,10,106
5	सेगमेंट संपत्ति	6,32,26,626	4,76,61,028	19,85,76,156	18,23,67,992	-	-	9,24,709	9,21,050	26,27,27,491	23,09,50,070
6	सेगमेंट देयताएँ	6,12,68,271	4,63,12,308	19,36,97,483	17,72,07,310	-	-	-	-	25,49,65,754	22,35,19,618
7	नियोजित पूंजी	19,58,355	13,48,720	48,78,673	51,60,682	-	-	9,24,709	9,21,050	77,61,737	74,30,452

Part A- Business Segment

(in thousands)

		Treasury Operations		Other Banking operations		Retail Banking Operations		Unallocated		Total	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1	Segment Revenue	41,70,544	32,77,345	1,82,04,459	1,81,32,207	38,210	24,250	(678)	(783)	2,24,12,535	2,14,33,019
2	Segment Result	10,78,550	6,85,957	(3,48,651)	(13,67,151)	20,212	14,674	(678)	(783)	7,49,433	-6,67,303
3	Income Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15,180	-1,57,197
4	Net Profit	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34,253	-5,10,106
5	Segment Assets	6,32,26,626	4,76,61,028	19,85,76,156	18,23,67,992	-	-	9,24,709	9,21,050	26,27,27,491	23,09,50,070
6	Segment Liabilities	6,12,68,271	4,63,12,308	19,36,97,483	17,72,07,310	-	-	-	-	25,49,65,754	22,35,19,618
7	Capital employed	19,58,355	13,48,720	48,78,673	51,60,682	-	-	9,24,709	9,21,050	77,61,737	74,30,452

44 YEARS OF MERITORIOUS RURAL BANKING

भाग ख- भौगोलिक सेगमेंट

चूंकि बैंक केवल एक भौगोलिक सेगमेंट,केरल राज्य में काम कर रहा है, भौगोलिक सेगमेंट के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया है।

आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपलब्ध एमआईएस के अनुसार सेगमेंट जानकारी प्रदान की जाती है, जिसमें कुछ अनुमान/धारणाएं शामिल हैं। उपरोक्त जानकारी के संकलन और रिपोर्टिंग में अपनाई गई कार्यप्रणाली पर ऑडिटर्स द्वारा भरोसा किया गया है।

16. लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध

12.1 प्रमुखप्रबंधकीय कार्मिक

- श्री. नागेश जी. वैद्य (24-12-2020 तक)
- श्री. जयप्रकाश सी, अध्यक्ष (07-12-2020 से)

12.2 सकल पारिश्रमिक का भुगतान

नाम	पद	2020-21	2019-20
श्री. नागेश जी. वैद्य	अध्यक्ष	22.95	30.74
श्री. जयप्रकाश. सी,	अध्यक्ष	9.41	

एएस 18 के पैराग्राफ 5 में कहा गया है कि मुख्य प्रबंधन कर्मियों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों से संबंधित सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है।

एएस 18 के पैराग्राफ 9 में कहा गया है कि राज्य नियंत्रित उद्यमों के वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टी संबंधों और अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केनरा बैंक के साथ लेनदेन का खलुासा नहीं किया गया है।

13. लेखा मानक-20 - प्रति शेयर आय:

प्रति इक्विटी शेयर मूल और मिश्रित आय की गणना लेखांकन मानक 20, "प्रति शेयर आय" के अनुसार की जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

	विवरण	2020-21	2019-20
क	इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (`०००)	3,34,253	(5,10,106)
ख	इक्विटी शेयरों की संख्या	84,14,300	84,14,300
ग	प्रति शेयर मूल आय (`)	39.72	(60.62)
घ	प्रति शेयर मिश्रित आय (`)	39.72	(60.62)
च	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (`)	10	10

Part B- Geographical Segment

Since the bank is operating only in one geographical segment, the state of Kerala no disclosures are made in respect of geographical segments.

Segment information is provided as per the MIS available for internal reporting purposes, which include certain estimates/assumptions. The methodology adopted in compiling and reporting the above information has been relied upon by auditors.

12. Accounting standard 18- Related party disclosures

Names of Related parties and their relationship with the Bank

12.1Key Managerial Personnel

- Shri. Nagesh G. Vaidya (Till 24-12-2020)
- Shri. Jayaprakash. C, Chairman (Since 07-12-2020)

12.2. Gross Remuneration paid

(ii) Non-performing Non- SLR Investments (₹ in Lakhs)

Name	Designation	2020-21	2019-20
Shri. Nagesh G. Vaidya	Chairman	22.95	30.74
Shri. Jayaprakash. C,	Chairman	9.41	

Paragraph 5 of AS 18 stipulates that, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.
Paragraph 9 of AS 18 states that no disclosure is required in the financial statements of state controlled enterprises as regards related party relationship and transactions with other state controlled enterprises. Hence disclosure of transactions with Canara Bank has not been made.

13. Accounting Standard-20 - Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with accounting standard 20, "Earnings per share" as given below.

	Particulars	2020-21	2019-20
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ 000)	3,34,253	(5,10,106)
B	Number of Equity Shares	84,14,300	84,14,300
C	Basic Earnings per Share (₹)	39.72	(60.62)
D	Diluted Earnings per Share (₹)	39.72	(60.62)
E	Nominal Value per Share (₹)	10	10

14. आस्थगित कर

बैंक ने आस्थगित कर संपत्तियों/देयताओं (डीटीए/डीटीएल) को निम्नानुसार मान्यता दी है:

विवरण	31-03-2021 तक	31-03-2020 तक
आस्थगित कर संपत्ति (क)		
ऋण/निवेश/अन्य के लिए प्रावधान	2,672.00	-
वेतन संशोधन के समय अंतर पर	-	1,951.03
कुल (क)	2,672.00	1,951.03
आस्थगित कर देयताएँ (ख)		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व बनाया गया	335.49	309.73
स्थायी संपत्ति: स्थायी संपत्ति के बुक बैलेंस और कर बैलेंस के बीच अंतर पर	451.64	445.11
कुल (ख)	787.13	754.84
आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध) (क-ख)	1,884.87	1,196.19

15. लेखा मानक 28- संपत्तियों की हानि।

प्रबंधन की राय में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता के अनुसार 31/03/2021 तक इसकी अचल संपत्तियों को किसी भी भौतिक सीमा तक कोई हानि नहीं हुई है।

16. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(लाख में `)

क्रम सं.	विवरण	31.03.21 तक	31.03.20 तक
क	अस्थायी प्रावधान खाते में ओपनिंग बैलेंस	शून्य	शून्य
ख	लेखांकन में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
ग	लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	शून्य	शून्य
घ	अस्थायी प्रावधान खाते में क्लोजिंग बैलेंस	शून्य	शून्य

लाभ और हानि खाते में व्यय मद के तहत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का विवरण:

विवरण	31.03.21 तक	31.03.20 तक
एनपीए के लिए प्रावधान	77.61	108.42
मानक सम्पत्तियो के लिए प्रावधान	43.11	2.16
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	-	0.03
कुल	120.72	110.62

17. रिजर्व से ड्रा डाउन:

	विवरण	31.03.21 तक	31.03.20 तक
क	सामान्यरिजर्व	शून्य	शून्य
ख	निवेशअस्थिररिजर्व (आयकरकाशुद्धऔरएएफएसप्रतिभूतियोंपरमूल्यह्रासकेसांविधिकरिजर्वमेंट्रांसफर)	शून्य	शून्य

14. Deferred Tax

The Bank has recognized Deferred Tax Assets /Liabilities (DTA / DTL) as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	March 31, 2021	March 31, 2020
Deferred Tax Asset (A)		
Provisions for Loans/Investments/ others	2,672.00	-
On timing difference of salary revision	-	1,951.03
Total (A)	2,672.00	1,951.03
Deferred Tax Liabilities (B)		
Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	335.49	309.73
Fixed Assets: on differences between book balances and tax balance of fixed asset	451.64	445.11
Total (B)	787.13	754.84
Deferred Tax Asset (net) (A-B)	1,884.87	1,196.19

15. Accounting standard 28 – impairment of Assets.

In the opinion of the management there is no impairment of its fixed assets to any material extent as at 31.03.2021 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by The Institute of Chartered Accountants of India

16. Provisions and Contingencies

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Particulars	March 31, 2021	March 31, 2020
A	Opening balance in the floating provisions account	NIL	NIL
B	The quantum of floating provisions made in the accounting	NIL	NIL
C	Amount of draw down made during the accounting year	NIL	NIL
D	Closing balance in the floating provisions account	NIL	NIL

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.21	As at 31.03.20
Provision for NPAs	77.61	108.42
Provision for Standard Assets	43.11	2.16
Provision for Fraud	-	0.03
TOTAL	120.72	110.62

17. Draw Down from Reserves:

Sl. No	Particulars	As at 31.03.21	As at 31.03.20
A	General Reserve	NIL	NIL
B	Investment Fluctuation Reserve (Net of Income tax & transfer to Statutory Reserve of depreciation on AFS securities)	NIL	NIL

18. शिकायतों की स्थिति

ग्राहकों की शिकायतें:

क्रम सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	5	3
(ख)	वष के द रान प्राप्त शिकायत की सख्या	107	220
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	112	218
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	5

19. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित पुरस्कार

क्रम सं.	विवरण	ब्योरा
(क)	वर्ष की शुरुआत में लागू नहीं किए गए अवाईस की संख्या	--
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवाईस की संख्या	--
(ग)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अवाईस की संख्या	--
(घ)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अवाईस की संख्या	–

20. 31.03.2021 तक ऋण पुनर्रचित खातों पर डेटा

अग्रिम स्थिति	विवरण	सीडीआर तंत्र	एमएसएमई ऋण पुनर्गठन
मानक अग्रिम पुनर्गठित	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	316
	बकाया राशि	शून्य	1032.93
उप-मानक अग्रिम पुनर्गठित	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य
	बकाया राशि	शून्य	शून्य
	नुकसान	शून्य	शून्य
संदिग्ध अग्रिम पुनर्गठित	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य
	बकाया राशि	शून्य	शून्य
	नुकसान	शून्य	शून्य

21. एमएसएमई खातों को,समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 1 जनवरी 2019 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 के तहत पुनर्रचितकिया गया।

पुनर्गठितखातों की संख्या	राशि (दस लाख में `)
316	103.29

22. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का केन्द्रीकरण

1. जमा का केन्द्रीकरण	
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कल जमा राशि (करोड़ में `)	2730.24
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	13.55%

18.Status of Complaints

Customer complaints:

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	5	3
(b)	No. of complaints received during the year	107	220
(c)	No. of complaints redressed during the year	112	218
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	-	5

19. Award passed by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	Details
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	–
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	–
(c)	No. of Awards implemented during the year	–
(d)	No. of Awards unimplemented Awards at the end the year	–

20.Data on Debt Restructured Accounts 31.03.2021

Advance status	Particulars	CDR Mechanism	MSME Debt Restructured
Standard Advances Restructured	No of Borrowers	Nil	316
	Amount outstanding	Nil	1032.93
Sub Standard Advances Restructured	No of borrowers	Nil	Nil
	Amount Outstanding	Nil	Nil
	Sacrifice	Nil	Nil
Doubtful Advances Restructured	No of borrowers	Nil	Nil
	Amount Outstanding	Nil	Nil
	Sacrifice	Nil	Nil

21 MSME accounts restructured vide RBI circular no. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 as amended from time to time

Particulars	Details
316	103.29

22. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

1. Concentration of Deposits	
Total Deposits of twenty largest depositors (₹ in crores)	2730.24
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the bank	13.55%

2. अग्रिमों का केन्द्रीकरण	
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (करोड़ में `)	248.08
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	1.34%

3. एक्सपोजर का केन्द्रीकरण	
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर (करोड़ में `)	255.90
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत	1.38%

4. एनपीए का केन्द्रीकरण	
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (करोड़ में `)	7.71
एक्सपोजर का प्रतिशत	1.15%

23. सेक्टर-वार एनपीए

(करोड़ में `)

क्रम सं	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछले वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र म सकल एनपीए का कुल अग्रिम का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में सकल एनपीए का कुल अग्रिम का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	12,242.13	151.42	1.24	12,071.02	150.25	1.24
2	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	1,343.25	185.62	13.82	1,170.94	187.95	16.05
3	सेवाएं						
4	व्यक्तिगत ऋण सहित अन्य	3,859.16	269.24	6.98	3,663.02	361.19	9.86
	उप कुल क	17,444.54	606.28	3.48	16,904.98	699.39	4.15
ख	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ						
2	उद्योग						
3	सेवाएं						
4	व्यक्तिगत ऋण सहित अन्य	1,012.24	67.24	6.64	1,014.83	71.69	7.06
	उप कुल ख	1,012.24	67.24	6.64	1,014.83	71.69	7.06
	कुल (क+ख)	18,456.78	673.52	3.65	17,919.81	771.08	4.30

2. Concentration of Advances

Total Advances to twenty largest borrowers (₹ in crores)	248.08
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to total Advances of the bank	1.34%

3. Concentration of Exposures

Total Exposures of twenty largest borrowers/customers (₹ in crores)	255.90
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to total Exposure of the bank on borrowers/customers	1.38%

4. Concentration of NPAs

Total Exposure to top four NPA accounts (₹ in crores)	7.71
Percentage of Exposures	1.15%

23.Sector-wise NPAs

(Rs. in crore)

Sl. No	Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding Total advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advance in that sector	Outstanding Total advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advance in that sector
A	Priority sector						
1	Agriculture & allied activities	12,242.13	151.42	1.24	12,071.02	150.25	1.24
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	1,343.25	185.62	13.82	1,170.94	187.95	16.05
3	Services						
4	Others including personal loans	3,859.16	269.24	6.98	3,663.02	361.19	9.86
	Sub Total A	17,444.54	606.28	3.48	16,904.98	699.39	4.15
B	Non-priority Sector						
1	Agriculture & Allied activities						
2	Industry						
3	Services						
4	Others including Personal loans	1,012.24	67.24	6.64	1,014.83	71.69	7.06
	Sub Total B	1,012.24	67.24	6.64	1,014.83	71.69	7.06
	Total (A+B)	18,456.78	673.52	3.65	17,919.81	771.08	4.30

24. एनपीए का संचलन

विवरण	2020-21	2019-20
विशेष वर्ष के 1 अप्रैल को सकल एनपीए (ओपनिंग बैलेंस)	771.08	601.15
वर्ष के दौरान योग (ताजा एनपीए))	441.69	1840.59
उप कुल क	1212.77	2441.74
घटाएं:		
(i) अपग्रेडेशन	349.40	1463.70
(ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	173.70	192.58
(iii) बट्टे खाते में डालना	16.15	14.38
उप-कुल ख	539.25	1670.66
अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल एनपीए (क्लोजिंग बैलेंस क-ख)	673.52	771.08

ख: अन्य प्रकटीकरण

1. इंटर-शाखा लेनदेन:

इंटर शाखा और इंटर ऑफिस खातों, एसए-सस्पेंस, एसएल-सस्पेंस सहित कई अन्य खातों का सामंजस्य सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस) प्लेटफॉर्म पर आधारित एक सतत प्रक्रिया और प्रणाली है।

2. धोखाधड़ी, चोरी और दुर्विनियोजन:

- पूर्ववर्ती वर्षों में तत्कालीन साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक की चेलेम्ब्रा शाखा में `24.94 लाख और 77883 ग्राम वजन के सोने के आभूषणों की चोरी हुई थी। इनमें से, 63848 ग्राम सोना और `77.14 लाख पुलिस ने बरामद किए थे। बैंक ने 1720 ग्राहकों (3295 खातों/दावेदारों) को `981.10 लाख का भुगतान किया था, जिन्होंने शाखा में अपने गहने खो दिए थे।इस प्रकार भुगतान की गई राशि को विविध संपत्तियों के तहत दिखाया गया है। बैंक को अदालती कार्यवाही पूरी होने पर आगे दावा करने के लिए बैंक के विकल्प को खुला रखते हुए बीमा कंपनी से `77.61 लाख का आंशिक मुआवजा प्राप्त हुआ था। इस प्रकार प्राप्त राशि को विविध देयताओं के मद में दर्शाया गया है।फास्ट ट्रैक कोर्ट, मंजेरी का अंतिम फैसला 23.03.2013 को अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सुनाया गया था।केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मंजेरी ने अपनी अंतरिम अभिरक्षा के लिए बैंक को जब्त किया हुआ सोना जारी किया था। बैंक ने बांड निष्पादित करके 63848 ग्राम सोने का अंतरिम कब्जा लिया और उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।बैंक ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की थी कि वह अभिरक्षा में रखे हुए सोने की बिक्री की अनुमति दे और 31.03.2021 तक लंबित है। परप्पनान्गादी न्यायिक फास्ट ट्रैक कोर्ट और मंजेरी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी `48.52; लाख (क्रमशः `46.69 लाख और `1.83 लाख) जारी किए थे और इसे बैंक की विविध देयताओं के तहत रखा गया है। बैंक को ` 31 लाख की जमीन के जब्ती का आदेश भी मिला था और उक्त संपत्ति की बिक्री के लिए बैंगलोर कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।
- पूर्ववर्ती वर्ष में, नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक की पेरिया बाजार शाखा में `6.74 लाख और 32.61 किलोग्राम वजन के सोने के गहने चोरी हो गए थे। उपरोक्त में से, बैंक ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट, होसदुर्ग के माध्यम से `10 लाख की वसूली की थी और उसे विविध देयता खाते में रखा गया है।बैंक को `522.65 लाख के कुल नुकसान की तुलना में `258.96 लाख का बीमा दावा प्राप्त हुआ था और पिछले वर्षों में बैलेंस का भुगतान किया गया था। आरोपियों के पास से जब्त 11548 ग्राम सोना बरामद करने के प्रयास जारी हैं। इस खाते पर बैंक को `522.65 लाख का नुकसान हुआ, जिसमें से `258.96 लाख बीमा दावे के रूप में वसूल किए गए।
- वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले

24. Movement of NPAs

Particular	2020-21	2019-20
Gross NPA as on 1st April of particular year (Opening balance)	771.08	601.15
Additions (Fresh NPA) during the year	441.69	1840.59
Sub Total A	1212.77	2441.74
Less:		
(i) Upgradations	349.40	1463.70
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	173.70	192.58
(iii) Write offs	16.15	14.38
Sub Total B	539.25	1670.66
Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance A-B)	673.52	771.08

B: Other Disclosures

1. Inter-Branch Transactions:

The reconciliation of Inter Branch and various other accounts including inter Office accounts, SA-Suspense, SL-Suspense is an ongoing process and system based in the CBS (Core Banking Solutions) platform.

2. Fraud, Burglary and misappropriations:

- In the preceding years ₹24.94 lakhs and gold ornaments weighing 77883 grams were burgled in the Chelembra branch of erstwhile South Malabar Gramin Bank. Out of the above, 63,848 gms of gold and ₹77.14 lakhs were retrieved by the police. Bank had paid ₹981.10 lakhs to 1720 customers (3295 accounts/claimants) who lost their ornaments at the branch. The amount so paid is shown under sundry assets. The bank had received partial compensation of ₹ 77.61 lakhs from the insurance company keeping the Bank's option open to make further claim on completion of court proceedings. The amount so received is shown under the head sundry liabilities. Final verdict of the Fast Track Court, Manjeri was pronounced on 23.03.2013 convicting the accused. Based on the direction of the Hon'ble High Court of Kerala, The Fast Track Court, Manjeri had released the gold ceased to Bank for its interim custody. Bank took an interim possession of 63848 gm gold by executing a bond and same is held under safe custody. Bank had filed an appeal before Hon'ble High Court of Kerala to allow for sale of gold under custody and is pending as on 31.3.2021. Parappanangadi Judicial First Class Court and Manjeri Fast Track Court had also released ₹ 48.52 ;akhs (₹ 46.69 lakhs and ₹ 1.83 lakhs respectively) and same is kept under sundry liabilities of the Bank. The bank had also received an order for attachment of landed property worth ₹ 31 Lakhs and had filed an application before the Bangalore Court for sale of said property.

- In the preceding year, ₹ 6.74 lakhs and gold ornaments weighing 32.61 Kg were burgled in Periya Bazar branch of erstwhile North Malabar Gramin Bank. Out of the above Bank had recovered ₹10 lakh, through The First Class Magistrate Court, Hosdurg and is kept in sundry liability account. Bank had received insurance claim of ₹ 258.96 Lakhs as against the total loss of ₹522.65 Lakhs and the balance was charged off in the preceding years. Efforts are still on to recover 11548gm of gold ceased from the accused. Loss incurred by the Bank on this account is ₹522.65 lakh, out of which ₹ 258.96 lakh had been recovered as insurance claim.

- वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले

मामलोंकीसंख्या	प्रकृति	शामिलराशि	वसूलकीगईराशि	पुस्तकोंमेंकियागयाप्रावधान
7	अग्रिम से संबंधित (लाख में `)	65.31	65.31	Nil

3. एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों की खरीद पर भुगतान किए गए प्रीमियम को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार परिशोधित किया गया है और इस अवधि के दौरान ब्याज आय से `695.73 लाख (पीवाई: ` 802.22 लाख) तक समायोजित किया गया है।
4. बैंक ने 5183 खातों (पीवाई: 7129 खातों) में ` 1614.74 लाख (पीवाई: ` 1438.57 लाख) को आंशिक रूप से खराब ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया है।
5. i) कोविड-19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा की। इसके बाद, सरकार द्वारा राष्ट्रीय लॉकडाउन को हटा दिया गया था, लेकिन कोविड-19 मामलों की एक महत्वपूर्ण संख्या वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं।कोविड-19 के प्रभाव में, ग्राहक व्यवहार और महामारी की आशंकाओं में बदलाव, साथ ही व्यापार और व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं, जिसके कारण वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है।वर्तमान 'दूसरी लहर' सहित कोविड-19 महामारी ने, भारत में मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके कारण बैंक के परिणामों को प्रभावित करना जारी रखेगी, जो चल रहे और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, जिनमें शामिल हैं, अन्य बातों के अलावा, कोविड-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई जानकारी और इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई कार्रवाई, चाहे सरकार हमारे द्वारा अनिवार्य हो या हमारे द्वारा चुनी गई हो और अन्य संबंधित उपाय।

   ii)17 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/220 डीओआर सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 के पैराग्राफ 2 और 3 के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी में संबंधित राशि, जहां अधिस्थगन/स्थगन बढ़ाया गया था और आरबीआई के पत्र संख्या वीवीबीपीएस/8124/21.04.048/2019-20 दिनांक 6 मई, 2020 के अनुसार 31 मई, 2020 तक ऐसे खातों में भुगतान पर विचार करने के बाद नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	करोड़ में`
1.	एसएमए/अतिदेय श्रेणी में कुल अग्रिम जहां परिपत्र के अनुसार अधिस्थगन/आस्थगन बढ़ाया गया था (31 मार्च 2020 तक)	1078.31
2.	कुल अग्रिम जहां परिपत्र के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया था (30 जून 2020 तक)	738.14
3.	30जून2020तकऐसेखातोंकेलिएकियागयाकुलप्रावधान	73.81
4.	इसतरहकेखातोंकेस्लिपेजकेखिलाफअवधिकेदौरानसमायोजितप्रावधान	8.00
5.	परिपत्रकेपैराघकेअनुसारअन्यखातोंकेलिएउपयोगकियागयाशेषप्रावधान	65.81

27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 की अधिसूचनाओं के माध्यम से आरबीआई ('आरबीआई दिशानिर्देश) द्वारा घोषित कोविड-19 नियामक पैकेज के अनुसार, 29 फरवरी, 2020 को मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में बैंक ने 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच देय पुनर्भुगतान पर एक वैकल्पिक स्थगन की पेशकश की । ऐसे खातों के संबंध में जिन्हें अधिस्थगन प्रदान किया गया था, संपत्ति वर्गीकरण अधिस्थगन अवधि के दौरान स्थिर रहा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ और एएनआर की एक रिट याचिका में 3 सितंबर, 2020 के अपने अंतरिम आदेश के तहत बैंकों को निर्देश दिया था कि जिन खातों को 31 अगस्त, 2020 तक अनिष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं करना था, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का निपटान लंबित है।आदेश के अनुसार, बैंक ने किसी भी खाते को एनपीए के रूप में घोषित नहीं किया था, जिसे 31 अगस्त, 2020 तक आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के अनुसार एनपीए घोषित नहीं किया गया था।खातों को एनपीए घोषित नहीं करने के अंतरिम आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय वारा 23 मार्च, 2021 को लघु-

•Instances of fraud reported during the year

No of cases	Nature	Amount involved	Amount Recovered	Provision made in the books
7	Related to Advance (₹ in Lakhs	65.31	65.31	Nil

3 Premium paid on purchase of investments classified under HTM category has been amortized as per RBI guidelines and adjusted from interest income to the tune of ₹ 695.73 lakhs (PY: ₹ 802.22 lakhs) during the period.

4. The bank has partially written off ₹1614.74 lakhs (PY: ₹1438.57 lakhs) in 5183 accounts (PY:7129 accounts) as Bad debts.

5. i) Consequent to the outbreak of the COVID-19 pandemic, the Indian government announced lockdown in March 2020. Subsequently, the national lockdown was lifted by the Government, but regional restrictions continue to be implemented in areas with a significant number of COVID- 19 cases. The impact of COVID-19, including changes in customer behaviour and pandemic fears, as well as restrictions on business and individual activities, has led to significant volatility in global and Indian financial markets and a significant decrease in global and local economic activities. The extent to which the COVID-19 pandemic, including the current 'second wave" that has significantly increased the number of cases in India, continue to impact the Bank's results will depend on ongoing as well as future developments, which are highly uncertain, including, among other things, any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic and any action to mitigate its impact whether government mandated or elected by us and other related measures.

ii) Respective amounts in each categories, where the moratorium/deferment was extended, in terms of paragraph 2 and 3 of circular number RBI/2019-20/220DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 and after considering the payments in such accounts till May 31, 2020 as per RBI letter no VVBPS/8124/21.04.048/2019-20 dated May 6, 2020 is as below:

Sl. No.	Particulars	₹ in Crores
1.	Total advances in SMA/ overdue category where moratorium/ deferment was extended as per the circular (as on 31st March 2020)	1078.31
2.	Total advances where asset classification benefit was extended as per the circular (as on 30th June 2020)	738.14
3.	Total provision made for such accounts as on 30th June 2020	73.81
4.	Provisions adjusted during the period against slippage of such accounts	8.00
5.	Residual Provision utilized for other accounts in terms of para 6. of the circular	65.81

In accordance with the COVID 19 Regulatory Package announced by RBI ('the RBI Guidelines) vide Notifications dated March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020 the bank offered an optional moratorium on repayments falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 in respect of accounts classified as standard on February 29, 2020. In respect of such accounts that were granted moratorium, the asset classification remained standstill during the moratorium period.

The Honorable Supreme Court in a writ petition by Gajendra Sharma Vs Union of India & Anr vide its interim order dated September 3, 2020 had directed Banks that the accounts which were not declared Non performing asset (NPA) till August 31, 2020 shall not be declared NPA till further orders, pending disposal of the case by Supreme Court. Pursuant to the order, the Bank had not declared any account as NPA, which was not declared as NPA till August 31, 2020 as per the RBI Prudential norms on Income Recognition, Asset classification, and provisioning pertaining to advances., The interim order to not declare accounts as NPA has been vacated by the Honorable Supreme Court on March 23, 2021 vide judgement in the matter of Small-Scale Industrial Manufacturers Association vs. UOI & Ors and RBI has issued a circular dated April 07, 2021 thereon, in accordance with which the Bank has made the asset

स्तरीय औद्योगिक निर्माता संघ बनाम यूओआई और अन्य के मामले में निर्णय के माध्यम से खाली कर दिया गया है और आरबीआई ने 07 अप्रैल, 2021 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार बैंक ने 1 सितंबर, 2020 से लागू मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार, ऊपर के रूप में अधिस्थगन प्रदान किए गएउधारकर्ता खातों का संपत्ति वर्गीकरण किया है।इसके अलावा, बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार महामारी के तनाव से प्रभावित पात्र उधारकर्ता खातों के पुनर्गठन की अनुमति दी है और विभिन्न रियायती योजनाओं के तहत अन्य राहत उपायों की पेशकश की है।

बैंक द्वारा उधारकर्ताओं को प्रदान की गई उपर्युक्त कोविड-19 सहायता योजनाओं के संबंध में बैंक द्वारा प्रावधान किए गए हैं, और प्रबंधन की राय में, वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आयोजित प्रावधानों को पर्याप्त माना जाना चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को ऐसे खातों के संबंध में 10% का अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता थी, जिन्हें अनिष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, लेकिन उपरोक्त परिपत्रों के माध्यम से दी गई रियायतों के लिए ((उन खातों के अलावा जिनमें देय राशि 30 जून, 2020 को या उससे पहले भेजी गई है, जैसा कि आरबीआई द्वारा दिनांक 06 मई, 2020 के पत्र द्वारा अनुमत है) ।इसके अलावा, उपरोक्त प्रावधानों को ऐसे प्रावधानों के लिए गिने गए खातों से स्लिपेज के लिए वास्तविक प्रावधान आवश्यकताओं के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष के अंत में शेष प्रावधानों को वापस लिखा जा सकता है या अन्य सभी खातों के लिए आवश्यक प्रावधानों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।तदनुसार, ` 8.00 करोड़ की राशि को ऐसे प्रावधानों के लिए गिने गए खातों से स्लिपेज के लिए वास्तविक प्रावधान आवश्यकताओं के विरुद्ध समायोजित किया गया है और अन्य एनपीए खातों के स्लिपेज के विरुद्ध 3.61 करोड़ रुपये समायोजित किए गए हैं। 62.20 करोड़ के बैलेंस को एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में रखी गई है।

6. भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर, 2020 को घोषित योजना के अनुसार, निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान (01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक) के अनुदान के लिए, बैंक ने 544.77 लाख की राशि का अपेक्षित दावा प्रस्तुत किया था और पात्र उधारकर्ताओं के खातों में जमा किया था।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 23 मार्च,2021 को लघु-स्तरीय औद्योगिक निर्माता संघ बनाम यूओआई और अन्य निर्देशों के मामले में लिए निर्णय के अनुसार, उपरोक्त आरबीआई परिपत्र दिनांक 07 अप्रैल, 2021 और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अधिसूचित राशि की गणना के लिए पद्धति के अनुसार, बैंक ने उपरोक्त अनुग्रह योजना के तहत स्थगन अवधि के दौरान यानी 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक कवर नहीं किए गए उधारकर्ताओं से वसूले जाने वाले ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर अनुमानित रिफंड/चक्रवृद्धि ब्याज/ब्याज के समायोजन के लिए 500 लाख का प्रावधान किया है और इसे ब्याज आय से घटा दिया।

7. आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/ 21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण।

उधारकर्ता का प्रकार	(क) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है	(ख) योजना के कार्यान्वयन से पहले (क) में उल्लिखित खातों के लिए एक्सपोजर (करोड़ में `)	(ग) (ख) का, ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(घ) अतिरिक्त फंडिंग स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है	(च) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधान में वृद्धि (करोड़ में `)
व्यक्तिगत ऋण	11,450	577.71	-	-	49.10
कॉर्पोरेट ऋण	-	-	-	-	-
जिनमें से एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-
कुल	11,450	577.71	-	-	49.10

classification of borrower accounts which were granted moratorium as above, as per the applicable extant IRAC norms with effect from September 1, 2020. Further, the Bank has permitted restructuring of eligible borrower accounts affected by the pandemic stress in accordance with the resolution framework prescribed by RBI and offered other relief measures under the various concessional schemes.

Provisions have been created by the Bank in respect of the above stated COVID-19 assistance schemes provided by the Bank to the borrowers, and in the opinion of the management, the provisions held are considered adequate based on the current facts and circumstances.

As per RBI guidelines, the bank was required to make an additional provision of 10% in respect of such accounts which would have been classified as non-performing but for the concessions granted through above circulars (other than accounts in which dues have been remitted on or before June 30, 2020 as permitted by RBI vide letter dated May 06, 2020). Further, the above provisions may be adjusted against the actual provisioning requirements for slippages from the accounts reckoned for such provisions. The residual provisions at the end of the financial year can be written back or adjusted against the provisions required for all other accounts. Accordingly, an amount of ₹8.00 crores has been adjusted against the actual provisioning requirements for slippages from the accounts reckoned for such provisions and Rs 3.61 crores has been adjusted against the slippages of other NPA accounts. Balance of ₹ 62.20 crores is retained as additional provision for NPA.

6. In accordance with the scheme announced by the Government of India on October 23, 2020 for grant of ex-gratia payment of difference between compound interest and simple interest for six months to borrowers in specified loan accounts (March 01, 2020 to August 31,2020), the Bank had submitted the requisite claim amounting to ₹ 544.77 Lakhs and credited the accounts of the eligible borrowers. Further, in accordance with the decision of the Honourable Supreme Court on March 23, 2021 in the matter of Small-Scale Industrial Manufacturers Association vs. UOI & Ors instructions, the aforesaid RBI circular dated April 07, 2021 and the methodology for calculation of the amount as notified by the Indian Banks Association (IBA), the Bank has created a provision of ₹500 Lakhs towards estimated refund/adjustment of compound interest/interest on interest/penal interest charged to the borrowers not covered under the above ex-gratia scheme during the moratorium period i.e. March 1, 2020 to August 31, 2020 and reduced the same from interest income

7. Details of Resolution plan implemented under the Resolution Framework for COVID-19 related stress as per RBI circular no. DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020

Type of Borrower	(A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(B) Exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan (₹ in Crores)	(C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	(E) Increase in provision on account of the implementation of the resolution plan (₹ in Crores)
Personal Loan	11,450	577.71	-	-	49.10
Corporate Loans	-	-	-	-	-
Of which MSME	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-
Total	11,450	577.71	-	-	49.10

8. 31-03-2021 को बैंक का पूंजी-से-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 6.71% (वर्तमान वर्ष: 7.29%) है जो 9% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है। बैंक का कम सीआरएआर मुख्य रूप से ३कारकों के कारण होता है।

- बैंक की व्यावसायिक परिसंपत्तियों की वृद्धि के अनुरूप, इक्विटी पूंजी में वृद्धि नहीं की जा सकी।
- वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक में पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसमें 31-03-2021 तक पेंशन फंड में योगदान के रूप में 718.31 करोड़ रुपये का नियोजन किया गया था । पेंशन योजना के लागू होने तक बैंक का औसत शुद्ध लाभ रु.70-100 करोड़ के दायरे में रहा है और इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान भंडार के संचय के माध्यम से पूंजी की वृद्धि संभव नहीं थी।
- इसके अलावा केरल में लगातार बाढ़ के कारण आर्थिक गिरावट और कोविड १९महामारी के अप्रत्याशित प्रकोप ने भी बैंक के निचले स्तर को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

दिसंबर 2019 से प्रभावी, बैंक को नाबार्ड द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत लाया गया था। तदनुसार, निरंतर लाभप्रदता के माध्यम से सीआरएआर में सुधार और एनपीए को कम करने के लिए बैंक द्वारा बोर्ड अनुमोदित कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना की प्रगति की
बैंक के निदेशक मंडल और नाबार्ड द्वारा नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है। बैंक ने नाबार्ड द्वारा विधिवत अनुशंसित पुनर्पूंजीकरण के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। प्रायोजक बैंक ने बोर्ड के प्रस्ताव के माध्यम से केरल ग्रामीण बैंक में इक्विटी के अपने हिस्से का योगदान करने की इच्छा व्यक्त की है और केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है।

9. बैलेंस शीट में दिखाया गया कुल अग्रिम एनपीए और जारी किए गए इंटरबैंक भागीदारी प्रमाण पत्र (आईबीपीसी) के लिए वैधानिक प्रावधान का शुद्ध है। 31-03-2021 तक बकाया आईबीपीसी है:

रु. शून्य (वर्तमान वर्ष: ₹ 1110 करोड़),

10. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि एवं लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी के तहत प्राथमिकता प्राप्त ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की बिक्री से होने वाली आय ₹53.3216 करोड़ (वर्तमान वर्ष: ₹ 37.125 करोड़) है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

8. Capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of the Bank as on 31-03-2021 is 6.71% (PY: 7.29%) which is below the minimum regulatory requirement of 9%. The low CRAR of the bank is primarily due to 3 factors.

- In tune with the growth of business assets of the Bank, equity capital could not be enhanced.

- In FY 2018-19 pension scheme was implemented in the Bank which entailed deployment of Rs718.31 Crores till 31-03-2021 by way of contribution to the Pension Fund. Average net profit of the Bank till the implementation of Pension Scheme has been in the range of Rs70 – 100 Crores and hence augmentation of capital through accumulation of reserves was not possible during the last three years.

- Moreover the economic downfall in Kerala due to consecutive flash floods and the unexpected outbreak of COVID 19 epidemic has also badly affected the bottom-line of the Bank.

The bank was brought under prompt corrective action by NABARD w.e.f December 2019. Accordingly, a board approved implementable action plan has been formulated by the Bank for improving CRAR through sustained profitability and reducing NPA. The progress of the action plan is reviewed by the Board of Directors of the Bank and NABARD at regular intervals. The Bank has also submitted a proposal to Central Government for recapitalization duly recommended by NABARD. Sponsor Bank has expressed their willingness to contribute their share of equity to Kerala Gramin Bank through board resolution and also requested the Central Government to take the needful action.

9. The total Advances shown in the balance sheet is net of statutory provision for NPA and Interbank participation certificates (IBPC) issued. The IBPC outstanding as on 31-03-2021 is Rs Nil (PY : ₹1110 crores),

10. Income arising from sale of Priority Sector Lending Certificates (PSLC) under Agriculture and Small and Marginal Farmers category during FY 2020-21 amounts to ₹53.3216 Crores (PY: ₹37.125 Crores) as detailed below: